भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

18.12.2024 के

अतारांकित प्रश्न सं. 3875 का उत्तर

अन्य व्यक्तियों/एजेंटों को रेलवे आरक्षण के लिए प्राथमिकता

3875. श्री गिरिधारी यादव:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलगाड़ियों में संसद सदस्यों द्वारा सिफारिश किए गए व्यक्तियों को मुख्यालय कोटे के अंतर्गत आरक्षण देने के बजाय अन्य व्यक्तियों/एजेंटों को विशेषकर बिहार और दिल्ली में प्राथमिकता दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस मामले की जांच कराकर संसद सदस्यों की सिफारिशों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने तथा उनकी सिफारिश पर आरक्षण न दिए जाने के कारणों से उन्हें अवगत कराने का निर्देश जारी करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ग): उच्चाधिकारी मांग (एचओआर) धारकों, जिसमें केन्द्र सरकार के मंत्री, सर्वोच्च न्यायालय/ विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों के माननीय न्यायाधीश, संसद सदस्यों और अन्य तात्कालिक मांगों, जो प्रतीक्षा-सूची में होते हैं, की अत्यावश्यक यात्रा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से विभिन्न गाड़ियों और विभिन्न श्रेणियों में आपातकालीन कोटा के रूप में सीमित स्थान निर्धारित किया गया है। कोटा पूर्वता-अधिपत्र और लंबे समय से अपनाई जा रही सुस्थापित पद्धति के अनुसार रेलों द्वारा जारी किया जाता है। बर्थ आबंटित करते समय, आपातकालीन कोटा पहले एचओआर धारकों/संसद

सदस्यों आदि की स्वयं की यात्रा के लिए पूर्णतः पूर्वता-अधिपत्र में उनकी पारस्परिक वरिष्ठता के अनुसार आबंटित किया जाता है। तत्पश्चात्, माननीय संसद सदस्यों सहित विभिन्न वर्गों से प्राप्त अन्य मांगों पर विचार किया जाता है और शेष कोटा तात्कालिकता की प्रकृति अर्थात् सरकारी ड्यूटी पर यात्रा करने, परिवार में शोक, बीमारी, नौकरी के लिए साक्षात्कार आदि जैसे विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए जारी किया जाता है।

*****